

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सैकटर 02, मानसरोवर, जयपुर

ई-मेल आईडी:ccosjerajasthan@gmail.com दूरभाष नम्बर:0141-2399335-336

क्रमांक: एफ 4(3)(4)नि.बा.अ./लेखा/स्टोर/मैन विद मशीन/2013/ 39524

जयपुर, दिनांक: 17/02/2020

सीमित निविदा सूचना

निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 01.03.2020 से 29.02.2021 तक, वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के द्वारा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपायनों के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार संवेदक के माध्यम से कार्यालय कार्य (कम्प्यूटर कार्य) हेतु दो उच्च कुशन श्रमिकों की आवश्यकता है।

अतः वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 तथा लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 में वर्णित विवरण/स्पेशलिफिकेशन के अनुसार अपनी मासिक दरें सील बन्द लिफाफे में जारी दिनांक से सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। प्राप्त निविदायें दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित निविदा-दाताओं के समक्ष सायं 4.00 बजे खोली जावेगी।

संलग्न:- वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018

निविदा को संशोधित व रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक: एफ 4(3)(4)नि.बा.अ./लेखा/स्टोर/मैन विद मशीन/2013/ 39524-27 जयपुर, दिनांक: 17/02/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- नोटिस बोर्ड, मुख्यावास।
- कर्म
- रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
बाल अधिकारिता

52

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)वित्त / इलापीएफसी / 2017

जयपुर, दिनांक 30/04/2018
संख्या 1 / 2018

परिपत्र

विषय: राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में विदेश विवेश बाबत।

संदर्भ- राजलापीठ यायिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व 1 अन्य बनाम राज्य विवेश में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कलिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतात्मक जूदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बढ़ी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विश्वत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समर्त उपापन संस्थाओं को एतद्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं प्रव संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम जूदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पृष्ठ पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का व्यय करते हुए किया जाएगा परन्तु एलेसमेन्ट ऐजेंसीज के माध्यम से मानव संसाधन का समाप्त नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उकतानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली वस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा।

- (i) बोलीदाता / संबोधक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निनानुसार प्रस्तुत किया जावे।

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार अम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस देतान, छंटनी, मुआवजा आदि देने समर्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्मादन आवधि के दौरान कार्य के संबंध/संवर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था हस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशेष प्रकृति के महदेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में समिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अफित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सकाम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशेष कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xx) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति अम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं अम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लेक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ-साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से समिलित करना गुनिश्चित करें ताकि अम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xx) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गमीरता से लिया जायेगा।

(मजदूर राजपाल)
शासन सचिव,
वित्त (विजट)

52 C

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु—

1. अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव (समर्त)
2. विभागाध्यक्षगण (समर्त)
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग
5. वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी (समर्त)
6. उपापन संस्थाए (समर्त)
7. एसपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशनार्थ
8. अति. निदेशक (कम्प्यूटरी) वित्त विभाग, को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ

G
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (G&T) विभाग